Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 नवंबर, 2022

राष्ट्रीय मिरगी दिवस

भारत में **राष्ट्रीय मिरगी/अपस्मार दिवस** मिरगी के विषय में जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष **17 नवंबर** को मनाया जाता है। **मिरगी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है,** जिसे **दौरा पड़ने** के रूप में पहचाना जाता है और इसका कारण किसी व्यक्ति को न्यूरॉन्स (मस्तिष्क की कोशिकाओं) में अचानक असामान्य एवं अत्यधिक विद्युत का संचार होना है, परिणामस्वरूप व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है तथा इस रोग से पीड़ित हर उम्र के व्यक्ति की परेशानियाँ अलग-अलग हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार **विश्व भर में लगभग पचास लाख लोग मिरगी** से पीड़ित है, जिसमें से अस्सी प्रतिशत लोग विकासशील देशों के हैं। मिरगी का उपचार संभव है, **भारत में लगभग दस लाख लोग मिरगी** से पीड़ित है। मिरगी के निम्नलिखित **लक्षण** हो सकते हैं: अचानक लड़खड़ाना (हाथ-पाँव में अनियंत्रित झटके लगना), बेहोशी, हाथ व पैरों या चेहरे की मांसपेशियों में जकड़न आदि। **मिरगी के कारण** मस्तिष्क की क्षति जैसे कि जन्मपूर्व एवं प्रसवकालीन चोट, जन्मजात असामान्यता, मस्तिष्क में संक्रमण, स्ट्रोक एवं ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट/दुर्घटना। बचपन के दौरान लंबे समय तक तेज़ बुखार से पीड़ित होना। मिरगी से पीड़ित रोगियों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना चाहिये, रोगियों को किसी भी तरह की अन्य दवाओं का सेवन करते समय उन दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों या किसी भी तरह की अन्य जटिलताओं से बचने के लिये चिकित्सक से परामर्श करना चाहिये, शराब का सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि शराब का सेवन दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ाता है।

राजीव कुमार

नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त **राजीव कुमार** को **अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक** के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिये 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 18 से 22 नवंबर तक **नेपाल में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।** भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना **25 जनवरी, 1950** को संविधान के अनुसार की गई थी। **25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस** के रूप में मनाया जाता है। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका **राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है।** इसके लिये भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-18-november-2022